

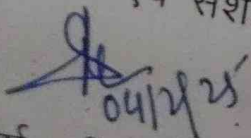
न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार, रंका ।

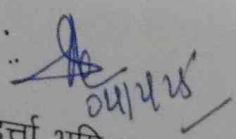
विविध अपील वाद सं०- 02/2022-23
दिकदार सिंह बनाम् आनन्द कु मार तिवारी वगैरह

दिनांक	पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश	अभ्युक्ति
04-12-23	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक दिकदार सिंह पिता- स्व० केश्वर सिंह ग्राम- सिसवा थाना- रमकण्डा, जिला- गढ़वा द्वारा प्राप्त आवेदन के आलोक में वाद दायर किया गया है। उपरोक्त वाद में प्रथम पक्ष का कहना है कि आवेदक दिकदार सिंह पिता- स्व० केश्वर सिंह साकिन सिसवा, थाना- रमकण्डा को बंदोस्ती पर्चा सं०- 116/2002-03 के माध्यम से ग्राम- सिसवा के खाता सं०- 1 प्लॉट सं०- 107 रकबा- 1.60 ए०, चौहदी उ०- हनीफ मियां, द०- रास्ता, पु०- रास्ता, प०- टोंगरी की भूमि अंचल अधिकारी, रमकण्डा, उपसमाहर्ता, गढ़वा वो अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा के द्वारा निर्गत पर्चा से परवाना सं०- 37 दिनांक- 03.06.2023 को पर्चा से भूमि प्राप्त है। पर्चा प्राप्ति के बाद दिकदार सिंह के नाम से रसीद कट रही है, अंचल कार्यालय के द्वारा तथा मांग पंजी 2 के खाता सं०- 1 प्लॉट सं०- 107 के रकबा- 1.60 ए० का मांग दर्ज है। प्रश्नगत भूमि हमेशा आवेदक के जोत वो कब्जा में है शांतिपूर्वक फसल उपजाते रहे है। आवेदक जाति के खरवार है जो विपक्षी के पिता मुरारी तिवारी को एकमुश्त 1200 रुपया नगद देकर जमीन लिया तथा विपक्षी के पिता ने हमेशा के लिए प्रश्नगत भूमि का कब्जा आवेदक को सौंप दिया कि मैं या मेरे वारिसान दी हुई भूमि को मालिकाना दावा नहीं करेंगे और न तो कोई सरोकार होगा। विपक्षीगण के पिता ने आवेदक को कागज बना दिया है जो आवेदक के पास अभी भी मौजूद है। उक्त वाद में द्वितीय पक्ष के द्वारा लिखित जवाब दिया गया है जिसमें बताया है कि यह वाद प्रथम पक्ष के द्वारा अवैध दस्तावेज के आधार पर जो अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा के द्वारा वर्ष 2003 में बंदोबस्ती (वाद सं०- 116/2002-03 है) प्रारम्भ करायी गई है। वाद में वर्णित भूमि मौजा सिसवा थाना- रमकण्डा जिला गढ़वा में अवस्थित है जिसका पुराना खाता सं०- 1 प्लॉट सं०- 107 है जो गत सर्वे खतियान में गैरमजरूआ दर्ज है। उक्त खाता प्लॉट की भूमि द्वितीय पक्ष के पिता- मुरारी तिवारी पिता- गुदन तिवारी को हुकुमनामा चैनपुर जमींदार द्वारा सन 1945 ई० में प्राप्त है तथा जमींदारी रसीद भी मालगुजारी अदा कर प्राप्त करते आये है एवं द्वितीय पक्ष के पिता का शांतिपूर्ण दखल कब्जा चला आया है एवं वर्तमान में द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा है। छोटा नागपुर कास्तकारी	

अधिनियम 1908 की धारा 80 के तहत 1977 में खतियान सर्वे कार्य शुरू हुआ जिसमें द्वितीय पक्ष के पिता मुरारी तिवारी के नाम खतियान बना है। जिसमें मुरारी तिवारी के नाम खता एवं दखल प्राप्त है एवं ऑनलाईन मालगुजारी अदा कर रसीद भी द्वितीय पक्ष प्राप्त करते आ रहे हैं तथा इसका नया खाता सं०- 58 प्लॉट सं०- 464 रकबा-4.80 ए० है। प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष के पिता का एक जाली बिक्रीनामा एवं जाली हस्ताक्षर से दस्तावेज तैयार कर जो दस्तावेज दिनांक 25.07.1984 का है जो अनिबन्धित है और इतना ही नहीं जब प्रथम पक्ष इस जाली दस्तावेज के आधार पर द्वितीय पक्ष के भूमि पर काबिज नहीं हो सके तो एक और दस्तावेज अनुमण्डल पदाधिकारी गढ़वा से बंदोबस्ती वाद सं०- 116/2002-03 के आधार पर रकबा 1.60 ए० भूमि पर दावा करने लगे। जो कि नियम संगत नहीं है। छोटा नागपुर कारस्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 80 के तहत जब सर्वे प्रक्रिया शुरू किया गया और धारा 91, 92 के तहत किसी प्रकार का बंदोबस्ती हस्तांतरण पर सरकार द्वारा रोक लगा दिया हुआ। जो किस परिस्थिति में प्रथम पक्ष के नाम बंदोबस्ती निर्गत हुआ। जो पूर्णतः संदेहास्पद प्रतीत होता है और विधिमान्य नहीं है। यह वाद चलने योग्य नहीं है पूर्णतः खारीज करने योग्य है एवं प्रथम पक्ष के द्वारा न्यायालय का समय भी बर्बाद किया जा रहा है एवं द्वितीय पक्ष को परेशान किया जा रहा है। जो इस वाद को न्यायहीन में खारीज किया जाना अतिआवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि गत सर्वे खतियान के आधार पर दोनों पक्ष भूमि का दावा कर रहे हैं जिसका हाल सर्वे खतियान का भी प्रकाशन हो चुका है जिसमें परिवर्तन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय क्षेत्राधिकार से बाहर है।
अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।
लेखापित एवं संशोधित।


उप समाहर्ता भूमि सुधार,
रंका।


उप समाहर्ता भूमि सुधार,
रंका।